राँची समाहरणालय, राँची
(राजस्व शाखा)
निविदा सं0 02/2017–18
अतिअल्पकालिन निविदा

राजस्व विभागीय ज्ञापांक 24 दिनांक 17.04.17 में निहित निदेश एवं उपलब्ध आवंटन के आलोक में रांची जिला के सभी अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय सदर/बुण्डू, जिला भू–अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय सदर/बुण्डू, अपर समाहर्त्ता कार्यालय, जिला निबंधन कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, अमीन, अनुसेवक, सफाई कर्मी आदि की सेवा बाह्य स्रोत (Outsourcing) के माध्यम से प्राप्त करने लिए निम्न शर्तों के साथ मुहरबंद अतिअल्पकालिन निविदा/आमंत्रित की जाती है, जो निम्नवत हैः–

क्र0	पद नाम	सं0	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अभियुक्ति
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	30	10+2 एवं डी0सी0ए0	संबंधित क्षेत्र में तीन वर्षों तक कार्यालय संस्थानों में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। Computer Operator को अतिरिक्त 25 wpm हिन्दी टंकण एवं 35 wpm अंग्रेजी टंकण के अतिरिक्त M.S office, Excel, Power Point एवं Internet आदि की भी जानकारी होनी चाहिए।	Outsourcing पर लिये जाने वाले कर्मियों के संबंध में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभागीय अधिसूचना सं0–1482 दिनांक 14.08.2015 एवं समय–समय निर्गत निदेश लागू होंगे निर्धारित राशि से कम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2	अमीन	09	10+2 एवं अमानत	संबंधित कार्यालय/संस्थाओं में 5 (पॉच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत अमीनों को प्राथमिकता दिया जायेगा।	
3	चालक	18	मैट्रिक	ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही किसी कार्यालय/सस्था में तीन वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए।	
4	अनुसेवक	20	मैट्रिक	कार्यालय/संस्थानों में तीन वर्षो तक का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	
5	सफाई कर्मी	22	मैट्रिक	कार्यालय/संस्थानों में तीन वर्षो तक का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।	

नोट :– (1) आवश्यकता अनुसार रिक्तयों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

(2) बाह्य स्रोत (Outsourcing) पर लिये जाने वाले कर्मियों का न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होगी तथा सेवानिवृत कर्मियों के लिए अधिकतम उम्र 62 वर्ष होगी।

निविदा बंद लिफाफा से निबंधित डाक/हाथों–हाथ कार्यालयावधि में दिनांक 31.05.2017 के अपराह्न 12.00 बजे अपराह्न तक समाहरणालय भवन, रांची ब्लॉक–ए, तीसरा तल्ला कमरा सं0–303 में समर्पित करना होगा। निविदा में तकनीकी एवं वित्तीय भाग अलग–अलग लिफाफा में रहना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा दिनांक 31.05.2017 को अपराह्न 2.00 बजे उप विकास आयुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी एवं निविदा का निस्तारण किया जायेगा। निविदा खोलने के समय निविददाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है।

शेष शर्त रांची जिला के वेबसाइट www.ranchi.nic.in पर देखी जा सकती है या कार्यालय दिवस पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

उपायुक्त,
रांची।

(क) शेष शर्त

1. निविदादाता का फर्म झारखण्ड सरकार द्वारा निबंधित होना चाहिए, जिसमें निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता का वार्षिक Turnover कम से कम 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रूपये होना चाहिए, जिसके लिए फर्म को विगत तीन वर्षों का Audit Report संलग्न करना होगा।
3. विगत तीन वित्तीय वर्ष का (अद्यतन) आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
4. सर्विस टैक्स का निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
5. सरकारी संस्थानों में HR एवं IT कार्य कराने का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए एवं संबंधित कर्मियों की उपलब्धता एवं योग्यता से संबंधित विवरणी।
6. निविदा में भाग लेने वाले एजेन्सी का Black List नहीं होना चाहिए।
7. एजेन्सी को अपने कर्मियों को रहने एवं परिवहन आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
8. निविदा में सफल एजेन्सी को रखे जाने वाले कर्मियों का चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
9. Outsourcing पर रखे जाने वाले ऑपरेटर, अमीन, चालक, अनुसेवक एवं सफाई कर्मी आदि की सेवा सभी अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय सदर/बुण्डू, जिला भू–अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल सदर/बुण्डू, अपर समाहर्त्ता कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय में ली जायेगी। सफाई कर्मी की सेवा सभी अंचल कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय बुण्डू, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बुण्डू एवं चार जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक कार्यालय में यथा आवश्यक ली जायेगी।
10. कार्यदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर सभी संबंधित की सेवा उपलब्ध कराना होगा। Outsourcing पर लिये जाने वाले कर्मियों की योग्यता/अनुभव/चरित्र की जांच अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।
11. कभी भी किसी प्रकार के अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। बैंक उपायुक्त, रांची के पदनाम से निर्गत होगा। सफल एजेंसी को छोड़कर अन्य एजेंसी को अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
13. बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(ख) निविदा का वित्तीय भाग का प्रपत्र

क्र0	पद नाम	प्रति कर्मी प्रतिमाह दर (मासिक देय राशि)	अभियुक्ति
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर		
2	अमीन		
3	चालक		
4	अनुसेवक		
5	सफाई कर्मी		

20/5/14

उपायुक्त,
राँची।